

पेरारिवलन की रिहाई पर : कानून और जनता की राय

प्रासंगिकता :-

जीएस पेपर 2 :- न्यायपालिका, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

कीवर्ड्स :- अनुच्छेद 161, क्षमा, Commutation, छूट, राहत, राहत, राहत, पूर्ण न्याय, dehumanizing

चर्चा में क्यों:

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक ए जी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश देने के लिए अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया है।
- पेरारिवलन ने सार्वजनिक सहानुभूति आकर्षित की है, क्योंकि तब वह केवल 19 वर्ष का था जब वह हत्या की साजिश में (आत्मघाती बेल्ट बम में इस्तेमाल की गई बैटरी की खरीद में अपने इकबालिया बयान से) संलिप्त पाया गया था।
- न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कार्य करते समय राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हैं, कि राष्ट्रपति के लिए उनका संदर्भ "संविधान की योजना के प्रतिकूल" था और यह छूट इस मामले में राज्य के अधिकार क्षेत्र में दृढ़ता से बनी हुई है।

राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति:

राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्षमा करना:** यह अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करता है।
- **प्रविलंबन:** आपराधिक सजा, विशेष रूप से मौत की सजा के अधिरोपण को अस्थायी रूप से स्थगित कर देता है। हालांकि एक विराम, राष्ट्रपति द्वारा दी गई एक राहत एक कैदी को अपील करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान कर सकती है या राष्ट्रपति को माफी या कम्यूटेशन पर विचार करने के लिए अधिक समय प्रदान कर सकती है।
- **विराम:** का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना, जैसे गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि।
- **परिहार:** इसका मतलब है कि सजा की मात्रा को अपनी प्रकृति को बदलने के बिना बदलना, उदाहरण के लिए बीस साल के कठोर कारावास को दस साल तक कम करना।
- **लघुकरण:** का मतलब है कि दोषी को दी गई सजा के प्रकार को कम कठोर में बदलना, उदाहरण के

लिए, एक मौत की सजा को जीवन की सजा में बदल दिया जाता है।

क्षमा शक्ति का दायरा:

- राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान द्वारा क्षमा की संप्रभु शक्ति के साथ निहित किया गया है, जिसे आमतौर पर दया या दया शक्ति के रूप में जाना जाता है।
- अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा का निलंबन, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण कर सकता है।
 - उन सभी मामलों में जहां सजा कोर्ट-मार्शल द्वारा होती है,
 - उन सभी मामलों में जहां सजा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित किसी भी कानून के तहत अपराध के लिए है, और
 - मौत की सजा के सभी मामलों में।
- राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र रूप से क्षमा करने की अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को केहर सिंह मामले (1988) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोहराया गया था।
 - हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हैं, अनुच्छेद 74 (1) उन्हें एक बार पुनर्विचार के लिए इसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी भी परिवर्तन के खिलाफ फैसला करती है, तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति किसी भी तरह से एक राज्यपाल की मौत की सजा को कम करने (क्षमा नहीं करने) की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।
- अनुच्छेद 161 के तहत, एक राज्यपाल क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, और लघुकरण प्रदान कर सकता है, किसी भी मामले पर किसी भी कानून के तहत है जो राज्य की कार्यकारी शक्ति के तहत आता है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के बीच अंतर:

- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति की तुलना में व्यापक है जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है:
 - क्षमादान देने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति उन मामलों में व्यापक है जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा है लेकिन अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है।

- राष्ट्रपति उन सभी मामलों में माफी दे सकता है जहां दी गई सजा मौत की सजा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमा शक्ति मौत की सजा के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 142:

- अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पार्टियों के बीच "पूर्ण न्याय" करने के लिए एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है, जहां कभी-कभी पूर्व स्थापित कानून एक उपाय प्रदान नहीं कर सकता है।
- संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि यह प्रावधान उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जिन्हें न्यायिक प्रणाली की वंचित स्थिति के कारण अपनी आवश्यक राहत प्राप्त करने में देरी के कारण पीड़ित होना पड़ता है।

अनुच्छेद 161:

- अनुच्छेद 161 के तहत, एक राज्य के राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति है।
- अनुच्छेद 161 के तहत, एक राज्यपाल क्षमा, प्रविम्बलन, विराम, परिहार, और लघुकरण प्रदान कर सकता है, किसी भी मामले पर किसी भी कानून के तहत है जो राज्य की कार्यकारी शक्ति के तहत आता है।
- राज्य मंत्रिमंडल की सलाह अनुच्छेद 161 के तहत सजा के रूपान्तरण/छूट से संबंधित मामलों में राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है।
- साथ ही, राज्यपाल द्वारा पारित आदेश, अनुच्छेद 161 के तहत, न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं।

पिछली न्यायिक घोषणाएं:

- उपयुक्त सरकार की सलाह राज्य के प्रमुख पर बाध्यकारी है।
- **मारू राम बनाम भारत संघ मामला (1980)** - भले ही राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख हैं, लेकिन वे अनुच्छेद 72 और 161 के तहत अपनी शक्तियों के संबंध में अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोनों कार्यकारी प्रमुखों को केंद्र और राज्य सरकारों की उचित सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता होती है।
- अदालत ने मारू राम के मामले का पालन किया जिसमें यह माना गया था कि राज्य सरकार राज्यपाल को सलाह दे सकती है जो इसे लेने के लिए बाध्य है।
- दया याचिका के निष्पादन में अनावश्यक विलंब-

- **शत्रुगन चौहान बनाम भारत संघ-** अनुचित विलंब से मृत्युदंड दोषी को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 के तहत राहत प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा ताकि उसकी मौत की सजा को कम किया जा सके।
- मौत के दोषी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुई असाधारण देरी और जो बिना किसी "उचित आधार" के अधिकारियों के कारण होती है, अदालत को "दया याचिका पर पुनर्विचार के लिए मामले को रिमांड करने" के बजाय खुद सजा को कम करना चाहिए।
- **असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 142 के तहत अदालत की शक्ति:**
- **मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव:**
 - सुप्रीम कोर्ट कानून के शासन में विश्वास पैदा करने के लिए जनता के व्यापक हित में हस्तक्षेप करने वाली असाधारण परिस्थितियों से निपट सकता है।
- **यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ:**
 - भोपाल गैस त्रासदी मामले में, अदालत ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया और खुद को संसदीय कानूनों से ऊपर की स्थिति में रखा।
- **एजी पेरारिवलन मामला:**
 - सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग किया और पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया।
 - सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहकर सभी संदेहों को समाप्त कर दिया है कि
 - संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कार्य करते समय राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे होते हैं
 - राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित करना बिना किसी संवैधानिक समर्थन के है और हमारे संविधान की योजना के विरुद्ध है।
 - इस मामले में, छूट राज्य के अधिकार क्षेत्र में दृढ़ता से बनी हुई है
 - हालांकि, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए किसी भी समय सीमा की अनुपस्थिति का उपयोग कार्यकारी निर्णयों में अनिश्चितकाल के लिए देरी करने के लिए किया जाता है तो क्या किया जाना चाहिए।

आगे की राह:

- मौत की सजा के निष्पादन में अनुचित, अत्यधिक और अनुचित देरी के अमानवीय प्रभाव हैं।
- अनुच्छेद 72/161 के तहत दया याचिकाओं को अब अपनाए गए कदमों की तुलना में बहुत तेज गति से निपटाया जाना चाहिए।

स्रोत:

<https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-invokes-extraordinary-powers-to-release-perarivalan/article65425403.ece>

<https://indianexpress.com/article/explained/explained-sc-reserves-verdict-plea-remission-rajiv-gandhi-assassination-accused-ag-perarivalan-7912173/>

<https://economictimes.indiatimes.com/news/india/rajiv-gandhi-assassination-case-sc-orders-release-of-a-g-perarivalan/articleshow/91634476.cms>

प्रीलिम्स प्रश्न:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र रूप से क्षमा करने की अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
2. राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कार्य करते समय राज्य मंत्रिमंडल की सलाह में बाध्य होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) उपर्युक्त दोनों
- d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर: b

- राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र रूप से क्षमा करने की अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को केहर सिंह (1988) में दोहराया गया था।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्ति का विश्लेषण करें और प्रासंगिक निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें?